GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

LIFT ACT—2007

FOR

REGULATION AND OPERATION

OF

LIFTS IN HIMACHAL PRADESH

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007

धाराओं का क्रम

धारा :

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	. .	1
2.	परिभाषाएं	. .	1—2
3.	लिफ्ट का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा	. .	2—3
4.	लिफ्ट का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति	. .	3
5.	विद्यमान लिफ्टों की बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	. .	3—4
6.	अनुज्ञप्ति के बिना लिफ्ट का चलाया न जाना	. .	4
7.	लिफ्टों के निरीक्षण और लिफ्ट प्रतिष्ठापन के लिए किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार	. .	4
8.	अपील	. .	4—5
9.	पुनरीक्षण	. .	5
10.	दुर्घटनाओं की रिपोर्ट	. .	5—6
11.	लिफ्टों का निरीक्षण	. .	6
12.	अपराध का संज्ञान	. .	6
13.	शास्ति	. .	6
14.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	. .	6—7
15.	नियम बनाने की शक्ति	. .	7

2007 का अधिनियम संख्यांक 22.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 सितम्बर, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में लिफ्टों, इससे सम्बन्धित मशीनरी और साधित्रों के निर्माण, रख–रखाव और सुरक्षित चालन को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.––**इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अपील प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अपील प्राधिकारी घोषित करे;

(ख) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "लिफ्ट निरीक्षक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) की पंक्ति से नीचे का न हो;

(घ) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "लिफ्ट" से पिजरे (केज) के साथ सज्जित एक उत्तोलन यन्त्र रचना अभिप्रेत है, जो तत्वतः ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है, ऊर्जा द्वारा परिचालित है तथा वस्तुतः यात्रियों को लाने ले जाने के लिए अभिकल्पित और प्रयोग में लाई जाती है;

स्पष्टीकरणः–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए लिफ्ट ऑपरेटर को यात्री नहीं समझा जाएगा।

(च) "लिफ्ट पिंजरा (केज)" से यात्रियों के प्रवहण के लिए उपयोग की जानी वाली लिफ्ट कार या पिंजरा (केज) अभिप्रेत है ;

(छ) "लिफ्ट प्रतिष्ठापन" के अन्तर्गत लिफ्ट पिंजरा (केज), लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग बाड़ा और लिफ्ट की परिचालन यन्त्र–रचना तथा लिफ्ट के प्रचालन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध समस्त रस्सियां, केबल, तारें और संयन्त्र हैं;

(ज) "लिफ्ट मार्ग" से वह कूपक (शाफ्ट) अभिप्रेत है, जिस पर लिफ्ट का पिंजरा (केज) चलता हो;

(झ) "लिफ्ट मार्ग बाड़े" के अन्तर्गत लिफ्ट मार्ग के आस–पास या चारों ओर से बाड़ायुक्त कोई स्थायी सारभूत संरचना है;

(ञ) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ठ) "ऊर्जा" से किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा अभिप्रेत है जो मानव या पशु ऊर्जा से उत्पन्न न हुई हो ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ढ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का सचिव अभिप्रेत है।

3. लिफ्ट का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा.––(1) किसी स्थान का प्रत्येक स्वामी, जो ऐसे स्थान पर लिफ्ट का प्रतिष्ठापन करना चाहता है, ऐसे अधिकारी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन कर सकेगाः–

(i) लिफ्ट का प्रकार;

(ii) लिफ्ट की अधिकतम निर्धारित गति;

(iii) निर्माता या रूपकार (डिजाइनर) द्वारा भार की निर्धारित क्षमता;

(iv) लिफ्ट ऑपरेटर के अतिरिक्त यात्रियों की अधिकतम संख्या जिसे लिफ्ट ले जा सकती है;

(v) अधिकतम भार को ले जाने के लिए लिफ्ट के पिंजरे (केज) का कुल भार;

(vi) प्रतिभार का भार ;

(vii) सहायक केबलों की संख्या ,विवरण, भार और आकार;

(viii) पिंजरे (केज) के निम्नतम भाग से गड्डे की गहराई जब निम्नतम मंजिल पर हो; और

(ix) बीम के भार और आकार सहित उर्ध्ववर्ती (ओवर हैड) व्यवस्था के निर्माण की ऐसी अन्य विशिष्टियां और ब्यौरे, जैसे विहित किए जाएं।

(2) इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने और आवेदक से ऐसी सूचना, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा करने के पश्चात् आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तदुपरि वह या तो अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा उस तारीख से, जिस को यह प्रदान की गई है, छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

4. लिफ्ट का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति.––(1) स्थान का प्रत्येक स्वामी, जिसे धारा 3 के अधीन लिफ्ट प्रतिष्ठापित करने के लिए अनुज्ञा दी गई है, ऐसी लिफ्ट के निर्माण को पूरा करने के पश्चात् एक मास के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जिसे मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसा कार्य पूरा होने की लिखित में सूचना देगा या भेजेगा या दिलवाएगा या भिजवाएगा और लिफ्ट परिचालन हेतु अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए सात सौ पचास रूपए की फीस के साथ आवेदन करेगा :

परन्तु यदि लिफ्ट राज्य सरकार से सम्बन्धित है तो कोई फीस संदत्त करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा, जैसा विहित किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसा अधिकारी, ऐसी जांच, जैसी आवश्यक हो, करने के पश्चात्, आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तदुपरि वह या तो अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा।

5. विद्यमान लिफ्टों की बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.––(1) धारा 3 और 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थान का प्रत्येक स्वामी (राज्य सरकार के भवनों

में प्रतिष्ठापन के सिवाय), जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व लिफ्ट प्रतिष्ठापित की गई है, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो मास के भीतर,ऐसी लिफ्ट के परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करेगा।

(2) धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध, जहां तक हो सके ऐसे आवेदन पर लागू होंगे और सात सौ पचास रूपए की फीस के संदाय के अध्यधीन होंगे।

6. अनुज्ञप्ति के बिना लिफ्ट का चलाया न जाना.––ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाए जाएं, कोई भी लिफ्ट, उसकी बाबत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के अधीन और उनके अनुरूपतः, परिचालित होगी अन्यथा नहीं :

परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पहले ही प्रतिष्ठापित लिफ्ट को, ऐसी तारीख से दो मास की अवधि के लिए या यदि धारा 5 के उपबन्ध के अनुसार उस अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए यदि आवेदन किया गया है, तो जब तक उक्त धारा के अधीन ऐसा आवेदन अन्तिम रूप से निपटा न दिया गया हो, लागू नहीं होगी।

7. लिफ्टों के निरीक्षण और लिफ्ट प्रतिष्ठापन के लिए किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार.––(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जो, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) की पंक्ति से नीचे का न हो, अधिभोगी को युक्तियुक्त सूचना (नोटिस) देने के पश्चात् किसी भी समय, किसी भवन में, जिसमें लिफ्ट प्रतिष्ठापित की गई है या की जा रही है अथवा जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, लिफ्ट या लिफ्ट प्रतिष्ठापन या उसके स्थल का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे निरीक्षण पर अधिकारी की यह राय है कि किसी भवन में कोई लिफ्ट असुरक्षित स्थिति में है, तो वह भवन के स्वामी को, ऐसी मरम्मत या ऐसी लिफ्ट में किए जाने वाले परिवर्तन की अपेक्षा करने वाला, जैसे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक समझे, आदेश जारी कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसी लिफ्ट को, तब तक, जब तक ऐसी मरम्मत या परिवर्तन नहीं कर दिए जाते या असुरक्षित स्थिति का निराकरण नहीं किया जाता, उपयोग न करने का आदेश दे सकेगा।

8. अपील.––(1) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की अपील, अपील प्राधिकारी को की जाएगी :

परन्तु किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि अपील ऐसे आदेश के पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर दाखिल न की गई हो :

परन्तु यह और कि इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास इस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील दाखिल करने के पन्द्रह दिन के भीतर आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करने या अपास्त करने का आदेश पारित करेगा।

9. पुनरीक्षण.——(1) धारा 8 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना से पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन दाखिल करने के पन्द्रह दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करने या अपास्त करने का आदेश पारित करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

10. दुर्घटनाओं की रिपोर्ट.——(1) जहां किसी लिफ्ट के परिचालन में कोई दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो आहत (घायल) व्यक्ति या तो स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति या उस भवन का स्वामी जिसमें लिफ्ट परिचालित है या यदि ऐसे स्वामी ने कोई अभिकर्ता नियुक्त किया है और उपधारा (3) के अधीन उसका नाम लिफ्ट निरीक्षक को संसूचित किया है, तो ऐसा अभिकर्ता, ऐसी दुर्घटना के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लिफ्ट निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को भी दुर्घटना के पूर्ण ब्यौरे सहित, सूचना (नोटिस) देगा और ऐसी लिफ्ट का परिचालन मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, फिर से आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक भवन का स्वामी जिसमें लिफ्ट प्रतिष्ठापित की गई है और यदि वह ऐसे भवन में निवास नहीं कर रहा है, तो वह, एक अभिकर्ता को, जो उसी नगर या ग्राम का निवासी होगा जिसमें भवन स्थित है, लिफ्ट के परिचालन में कोई दुर्घटना होने की सूचना (नोटिस) देने के लिए, नियुक्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अभिकर्ता का नाम, मुख्य अभियन्ता (विद्युत) और अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को संसूचित किया जाएगा।

11. लिफ्टों का निरीक्षण.—(1) प्रत्येक लिफ्ट का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा छह मास में कम से कम एक बार किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के लिए (राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित और अनुरक्षित लिफ्टों के सिवाय) सात सौ पचास रूपए की वार्षिक फीस प्रभारित की जाएगी तथा ऐसी फीस में मोटर के निरीक्षण हेतु प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

(2) जो कोई, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3), धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 10 की उपधारा (1) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है या इन धाराओं के अधीन समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

12. अपराध का संज्ञान.—कोई भी न्यायालय धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय नहीं करेगा।

13. शास्ति.—जो कोई इस अधिनियम, नियमों के किसी उपबन्ध का या अनुज्ञप्ति की शर्तों का या, यथास्थिति, मुख्य अभियन्ता (विद्युत्) या अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, जारी रहता है, अधिकतम पैंतालीस हजार रूपए के अध्यधीन, पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और लिफ्ट की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।

14. शक्तियों का प्रत्योजन.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) लिफ्टों के लिए विनिर्देश;
(ख) रीति, जिसमें लिफ्टों की निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी;

(ग) रीति ,जिसमें लिफ्टों का परीक्षण किया जा सकेगा;
(घ) लिफ्ट के निर्माण के लिए आवेदन या उसके परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप ;
(ङ) निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन और प्ररूप जिसमें धारा 6 के अधीन लिफ्ट के परिचालन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकेगी;
(च) रीति जिसमें और निबन्धन जिनके अध्यधीन लिफ्ट धारा 6 के अधीन परिचालित होगी;

(छ) रीति जिसमें दुर्घटनाओं की सूचना (नोटिस) दी जाएगी और ऐसी सूचना (नोटिस) का प्ररूप ;
(ज) धारा 7 के अधीन दी जाने वाली सूचना (नोटिस) का प्ररूप; और
(झ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकेगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.——राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों या उनमें से किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, किन्तु जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS ACT, 2007

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1.	Short title, extent and commencement.	..	8
2.	Definitions.	..	8-9
3.	Permission to erect a lift.	..	9-10
4.	License to use a lift.	..	10
5.	Applications for license in case of existing lifts.	..	10
6.	Lift not to be operated without a license.	..	10-11
7.	Right to enter any building for inspection of lifts and lift installation.	..	11
8.	Appeal.	..	11
9.	Revision.	..	11
10.	Report of accidents.	..	11-12
11.	Inspection of lifts.	..	12
12.	Cognizance of offence.	..	12
13.	Penalty.	..	12
14.	Delegation of powers.	..	13
15.	Power to make rules.	..	13

Act No. 22 of 2007

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS ACT, 2007

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

to provide for the regulation of the construction, maintenance and safe working of lifts, machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007.

(2) It extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means such authority as the State Government may, by notification publish in the Official Gazette, declare to be the Appellate Authority ;

(b) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(c) "Inspector of Lifts" means an officer not below the rank of Executive Engineer(Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the State Government;

(d) "license" means a license granted under this Act;

(e) "lift" means a hoisting mechanism equipped with a cage which moves in a substantially vertical direction, is worked by power and is designed or is actually used to carry passengers;

Explanation.—For the purpose of this clause a lift operator shall not be deemed to be a passenger.

(f) "lift cage" means the car or cage of a lift used for the conveyance of passengers;

(g) "lift installation" includes the lift cage, the lift way, the lift way enclosure and the operating mechanism of the lift and all ropes, cables, wires and plant directly connected with the operation of the lift;

(h) "lift way" means the shaft in which the lift cage travels;

(i) "lift way enclosure" includes any permanent substantial structure surrounding or enclosing the lift way;

(j) "notification" means a notification published under proper authority in the Official Gazette;

(k) "Official Gazette" means the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(l) "power" means any form of energy which is not generated by human or animal energy;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(n) "Revisonal Authority" means Secretary, Public Works Department to the Government of Himachal Pradesh.

3. Permission to erect a lift.—(1) Every owner of a place intending to install a lift in such place shall make an application to such officer as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, authorize in this behalf, for permission in such form as may be prescribed, specifying:—

(i) the type of the lift;
(ii) the rated maximum speed of the lift;
(iii) the maker's or designer's rated capacity in weight;
(iv) The maximum number of passengers in addition to the lift, operator which the lift can carry;
(v) The total weight of the lift cage carrying the maximum load;
(vi) The weight of the counterweight;
(vii) The number, description, weight and size of the supporting cables;
(viii) The depth of the pit from the lowest part of the cage when at the lowest floor; and
(ix) such other particulars and details of the construction of the overhead arrangement; with the weight and sizes of the beams as may be prescribed.

(2) On receipt of application under sub-section (1), the officer authorized in this behalf shall, after making such enquiry and requiring the applicant to furnish such information as may be necessary, forward the application with his remarks to the Chief Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department or to the officer authorized by him in this behalf and thereupon he may either grant or refuse the permission.

(3) The permission granted under sub-section (2) shall be valid for a period of six months from the date on which it is granted.

4. License to use a lift.—(1) Every owner of a place who is permitted to install a lift under section 3, shall, within one month after the completion of the erection of such lift, deliver or send or cause to be delivered or sent to such officer as the Chief Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department may authorize in this behalf, a notice in writing of such completion and shall make an application alongwith fee of Rs.750/- for grant of a license for operating the lift:

Provided that no fee shall be required to be paid if the lift belongs to the State Government.

(2) An application for a license made under sub-section (1) shall be in such form as may be prescribed.

(3) On receipt of application under sub-section (1) such officer after making such enquiry as may be necessary forward the application with his remarks to the Chief Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department or to the officer authorized by him in this behalf and thereupon he may either grant or refuse the license.

5. Applicitions for license in case of existing lifts.—(1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4 every owner of a place (except installation in State Government buildings), in which a lift has been installed before the commencement of this Act, shall, within two months from the date of commencement of this Act, apply for a license for the working of such lift.

(2) The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 4 shall, so far as may be, apply to such application and shall be subject to payment of fee of Rs. 750/-.

6. Lift not to be operated without a license.—Subject to such rules as may be made in this behalf, no lift shall be worked except under and in conformity with the terms of the license granted in respect of the same:

Provided that nothing in this section shall apply to a lift already installed on the date of the commencement of this Act, for a period of two months from such date or if an application

for license is made within that period in accordance with the provision of section 5, until such application is finally disposed of under the said section.

7. Right to enter any building for inspection of lifts and lift installation.—(1) An officer not below the rank of Executive Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department authorized by the State Government in this behalf may, at any time after giving reasonable notice to the occupant, enter upon any building in which a lift is installed or is being installed or in connection with which an application for a license has been received, for the purpose of inspecting the lift or the lift installation or the site thereof.

(2) If on such inspection the Officer is of the opinion that any lift in any building is in an unsafe condition, he may issue an order to the owner of the building requiring such repairs or alterations to be made to such lift as he may deem necessary within the time specified therein and may also, if necessary, order the use of such lift to be discontinued until such repairs or alterations are made or such unsafe condition is removed.

8. Appeal.—(1) An appeal shall lie from the order issued under sub-section (2) of section 7 to the Appellate Authority:

Provided that no appeal shall be entertained against any order unless the appeal is filed within 15 days from the passing of such order:

Provided further that any appeal may be admitted after the expiry of the period specified under this section, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he has sufficient cause for not preferring appeal within that period.

(2) The Appellate Authority shall, within 15 days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order appealed against.

9. Revision.—(1) Any person aggrieved by an order passed in appeal by the Appellate Authority under section 8 may, within 15 days of the communication of such order, file revision petition before the Revisional Authority against such order.

(2) The Revisional Authority shall, within 15 days of filing of revision application against the order of the Appellate Authority, pass an order confirming or setting aside the order of Appellate Authority:

Provided that no order shall be passed under this section which may be prejudicial to any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

10. Report of accidents.—(1) Where any accident occurs in the operation of any lift resulting in injury to any person, either the injured person or on his behalf any other

person or the owner of the building in which the lift is working or if such owner has appointed an agent and had communicated his name to the Inspector of Lifts under sub-section (3), such agent shall, as soon as may be, after such accident, give notice with full details of the accident to the Inspector of Lifts and also to the District Magistrate and the working of such lift shall not be resumed except with the written permission of the officer authorized in this behalf by the Chief Engineer(Electrical)Himachal Pradesh Public Works Department.

(2) For the purpose of sub-section (1), the owner of every building in which a lift has been installed and if he does not reside in such building, shall appoint an agent who shall be a resident of the town or village in which the building is situated, to give notice of any accident occurring in the operation of the lift.

(3) The name of every agent appointed under sub-section (2) shall be communicated to the Chief Engineer (Electrical) and the Superintending Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department.

11. Inspection of Lifts.—(1) Every lift shall be inspected at least once in six months by an officer authorized in this behalf by the State Government and annual fee of Rs.750/- shall be charged for such inspection (except lifts installed and maintained by the State Government) and such fee shall include the charges for the inspection of the motor.

(2) Whoever contravenes any of the provisions of sub-section (3) of section 4,sub-section (2) of section 7 and sub-section (1) of section 10 of the Act or fails to perform the duties assigned under these sections shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both.

12. Cognizance of offence.—No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (2) of section 11 except on a complaint in writing made by an officer authorized by the State Government, by notification in the Official Gazette.

13. Penalty.—Whoever contravenes any of the provisions of this Act, rules or conditions of a license or a direction given by the Chief Engineer (Electrical) or Superintending Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department, as the case may be, under this Act or the rules made thereunder, shall, on conviction, be punishable with a fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day, with maximum of forty five thousand rupees during which such contravention continues after conviction for the first such contravention and the license of the lift shall be liable to be cancelled.

14. Delegation of the powers.—The State Government may delegate all or any of the powers conferred on it by this Act to such officer as it may think fit but not below the rank of Executive Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department.

15. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) Specifications for lifts;

(b) The manner in which erection plans of lifts shall be submitted;

(c) The manner in which the lifts may be tested;

(d) The form of application for the erection of a lift or a license for working the same;

(e) The terms and conditions subject to which and the form in which the licenses may be granted for the working of a lift under section 6;

(f) The manner in which and the terms subject to which the lift shall work under section 6;

(g) The manner in which notice of accidents shall be given and the form of such notice;

(h) The form of notice to be given under section 7; and

(i) Any other matter which is required to be or may be prescribed by the State government.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—4106—पी0 डब्ल्यू0 डी0/2009—4—3—2009——200.